NEWS RELEASE

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

समाचार विज्ञप्ति

भारत में गरीबों को समानता प्राप्त करने के लिए आवास अधिकार के दृष्टिकोंण की आवश्यकता : संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ

नई दिल्ली/जेनेवा (22अप्रैल 2016)– फुटपाथ पर काफी तादाद में रहने वालों और समृद्ध अचल संपत्ति (रियल स्टेट) के तेजी से विकास के बीच विरोधाभास पर परिहारकारी आवास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा प्रमुखता से ध्यान केंद्रित गया, जिन्होंने आज दो सप्ताह की देश की आधिकारिक यात्रा समाप्त की है। लेईलानी फारहा ने परिहारकारी आवास के अभाव के कारणों और प्रभावों को संबोधित करने के लिए प्रभावी तरीके से, और तात्कालिक तौर पर एक राष्ट्रीय आवास कानून की आवश्यकता पर बल दिया।

फारहा ने कहा, 'मैं उन लाखों लोगों के लिए बेहद चिंतित हूं जो बहिष्कार, भेदभाव, बार–बार के निष्कासन, असुरक्षित कार्यकाल, बेघर होने और सस्ते तथा परिहारकारी आवास तक पहुंच बनाने की आशा खो चुके हैं।'

मुझे बताया गया और मैनें पढ़ा कि निष्कासन सामान्य बात है और शायद ही कभी उचित प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों का कड़ाई से पालन किया गया हो। लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी जबरदस्ती निष्कासनों को उचित समझते हैं जहां रहने वालों का जमीन पर अधिकार नहीं है। फाराह ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के अंतर्गत ऐसा नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने कहा कि उन्होंने बेहद खराब स्थिति में जीवन यापन करने वाले बेघरों, यहां तक कि इन मुद्दों के लिए
दृश्यता की कमी और समस्या से निपटने में तात्कालिकता का अभाव महसूस किया।

उन्होंने कहा, 'मैं इसको लेकर भी गंभीर रूप से चिंतित हूं कि इस तरह की धारणा है कि व्यापक मुद्दे, जैसे कि घरेलू हिंसा के सवाल को शांति और सुरक्षा वाले घर में रहने के अधिकार के साथ नहीं जोड़ा जाता है।' 'वहां सरकारी नीति–निर्माण और अदालती व्यवस्था के बीच खाई सी प्रतीत होती है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के जीवन के लिए गरिमा और अधिकार की रक्षा के लिए सरकार के दायित्यों को उजागर करता है।

फाराह ने भारत सरकार से अपने संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय आवास कानून विकसित करने का आह्वान किया जिसमें निष्कासन पर प्रतिबंध हो, बेघरों की समस्याएं उपयुक्त तरीके से सुलझाने के लिए तात्कालिक प्रतिबद्धता हो और जो झुग्गियों में रहने वालों के लिए पुनर्वास के लिए सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य की योजना की तरह हो।

विशेष दूत ने उल्लेख किया कि भारत सरकार इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयास करती रही है और शहरी इलाकों में 2022 तक करीब 100 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए पूरे देश में 20 मिलियन आवास इकाइयां विकसित कर झुग्गियों में रहने वालों की परिस्थितियों को संबोधित करने के प्रति महत्वाकांक्षी तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई है।

फाराह ने कहा, 'मुझे मुंबई और बेंगुलुरू में कुछ पुनर्वास और नए सिरे से विकसित किए जा रहे निर्माणाधीन क्षेत्रों को देखने का मौका मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनमें स्थानांतरित होने के योग्य लोग निश्चित रूप से इन आवास इकाइयों की स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार महसूस करेंगे, विशेष तौर पर वे लोग जो दशकों तक झुग्गियों में रहे हैं। पानी, साफ–सफाई और बिजली की समुचित व्यवस्था और दस सालों के लिए भवनों के रखरखाव की गारंटी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को एक निश्चित समयावधि के लिए सुरक्षा दी गई है जिसे आवास का अधिकार हासिल करने के लिए एक आधार स्तंभ कहा जा सकता है।'

हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि शहरी इलाकों में भारी भेदभाव है और ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पलायन अगले 30 वर्षों में भारत को एक प्रमुख शहरी समाज बना देगा।

उनका कहना है कि 'एक दो स्तरीय नीति की तात्कालिक तौर पर आवश्यकता है, एक जो आवास की कमी को पूरा करने के लिए संबोधित करती हो और दूसरी जो भारत को आगामी आवास आवश्यकताओं के लिए तैयार करती हो।'

देश की उनकी दो सप्ताह की यात्रा के दौरान, विशेष दूत नई दिल्ली, मुंबई और बेंगुलुरू गई और हर स्तर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों यहां तक कि निवासियों, नागरिक समाज और अकादमिक लोगों से मिलीं। वह मार्च 2017 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को अपने निष्कर्षों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

अंत

कनाडा की लेईलानी फारहा संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत के तौर पर पर्याप्त आवास के मुद्दे पर कार्य करती हैं। ये संस्था गैर–भेदभाव के अधिकार के तहत जीने के पर्याप्त मानक अधिकार के घटक के रूप में कार्य करती है। वह इस व्यवस्था में जून 2014 से जुड़ी हुई हैं। सुश्री फारहा 'एनजीओ कनाडा विदाउट पावर्टी' की कार्यकारी निदेशक हैं, ये संस्था कनाडा के ओटावा शहर में स्थित है। सुश्री फरहा पिछले करीब 20 साल से वकील के तौर पर कार्य कर रही हैं, इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर सबसे हाशिए पर पहुंच चुके समूहों के लिए और गरीबी में रहने वाले लोगों की स्थिति में पर्याप्त आवास के अधिकार के कार्यान्वयन पर खास ध्यान दिया।
अधिक जानकारी के लिए लॉग आन करें
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx

विशेष दूत, मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं से जुड़ी एक संस्था के रूप में जाना जाता है। विशेष प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणाली के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों का सबसे बड़ा समूह है, जो स्वतंत्र तथ्य खोजने और निगरानी तंत्र के तौर पर कार्य करता है, इसमें दुनिया के किसी भी हिस्से, विशिष्ट देश की स्थितियों या विषयगत मुद्दों को उठाया जाता है। विशेष प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर काम करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं हैं और अपने काम के लिए वेतन भी प्राप्त नहीं करते हैं। वे किसी भी सरकार या संगठन से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अपनी व्यक्तिगत क्षमता से सेवा करते हैं।
यूएन ह्यूमन राइट्स, कंट्री पेज– इंडिया:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/INIndex.aspx

अधिक जानकारी और मीडिया अनुरोध के लिए संपर्क करें:
यात्रा के दौरान:
राजीव चंद्रन, यूएनआईसी– नई दिल्ली (91 11 46532242 / *rajiv.chandran@unic.org*)
जुआना सोतोमेयर (41 79 444 4078 / *jsotomayor@ohchr.org*)

मेरियानिक कोफी (41–79–444–3993 / *mkoffi@ohchr.org*)
जेनेवा में (यात्रा से पहले और यात्रा के बाद):
जुआना सोतोमेयर (41 22 917 9445 / *jsotomayor@ohchr.org*)

मरियानिक कोफ्फी 41 22 917 9642) या लिखें *srhousing@ohchr.org*

अपनी न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के लिए: मल्टीमीडिया कंटेंट और हमारे समाचार विज्ञप्ति से संबंधित आवश्यक संदेश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सामाजिक मीडिया चैनल के तहत सूचीबद्ध तौर पर उपलब्ध हैं। कृपया हमें ठीक से टैग करने के लिए इन हैंडल्स का इस्तेमाल करिए:
ट्विटर: @UNHumanRights
फेसबुक: unitednationshumanrights
इंस्टाग्राम: unitednationshumanrights

गूगल+: unitednationshumanrights

यूट्यूब: unohchr